रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1975/माघ 11, 1896

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1975/MAGHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st January 1975

No. F. A. 11013/E/122/72-Ad.IV.—In supersession of the orders contained in their Resolution F. No. A. 11013/E/122/72-Ad.IV, dated the 6th November, 1974, the Government of India have decided that the Tobacco Excise Tariff (Expert) Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) before the 28th February, 1975.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general infomation.

H. N. RAY, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1975

सं० फा० ए० 11013/ई/122/72-प्रशा०-IV.—दिनांक 6 नवम्बर, 1974 के संकल्प सं० ए० 11013/ई/122/72-प्रश०-IV में निहित आदेशों का अधिलंघन करते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि तम्बाकू उत्पादन-शुल्क टैरिफ (विशेषज्ञ) समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को 28 फरवरी, 1975 से पहले पेश करेगी।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजी जाय तथा इसे सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

एच० एन० रे, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975